

## order Sheet [Contd]

प्र0क0104 / 11 विद्युत

te of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessa
31-12-16	<p>परिवादी विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री.....सहित उनके अधिवक्ता श्री अरुण श्रीवास्तव उप0।</p> <p>आरोपी/गण सहित/द्वारा अधि0 श्री मुकेश कुशवाह उप0/आरोपी अनुपस्थिति।</p> <p>प्रकरण स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत में पेश हुआ है।</p> <p>यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है।</p> <p>उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री ने अपने अधिवक्ता सहित एक आवेदन पेश कर निवेदन किया कि इस मामले में आरोपी पक्ष के द्वारा विद्युत विल की बकाया राशि जमा की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में लोकहित में परिवादी विद्युत विभाग यह परिवाद बढ़ाना नहीं चाहता है, कार्यवाही समाप्त की जावे।</p> <p>सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। उक्त आवेदन के आलोक में इस नेशनल/मेगा लोकअदालत में परिवादी विद्युत विभाग का उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है। उक्त आरोपी का अगर जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो।</p> <p>प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है।</p> <p>परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">डी0सी0थपलियाल पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क्र0-19 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम गोहद, जिला भिण्ड</p>	

	<p>पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क्र०-1 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम गोहद, जिला भिण्ड</p>	
--	--	--